निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 34 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, रा॰मा॰ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, रा॰मा॰ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला) के माह 08/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक चौधरी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02/08/2018 से 13/08/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन. यादव एवं श्री राजेश डोभाल एवं श्री डी के मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24/08/2017 से 04/09/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2015 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जिला देहरादून एवं हरिद्वार ।

(II)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

							स्थापना		गैर स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	वर्ष				
2016-17	-	-	11037.86	10447.86	74.20	74.20	-	590.00	-	
2017-18	-	-	7245.52	7205.39	50.00	50.00	-	40.13	-	
2018-19(07/18) तक	-	-	3288.00	993.31	0.00	0.00	-	0.00	-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
शून्य					

3. इकाई का बजट आवंटन राज्य द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है ।
4. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में मार्गों का सुधारीकरण कार्यालय को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, रा॰मा॰ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह........ को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।
6. ....का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ....से .... तक लेखा परीक्षा की गई ।

4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह 03/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

   भाग प्रथम- रुपए 688103
   भाग द्वितीय- रुपए 610215
6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 07/2017 के अंत में

   1.नकद परिशोधन- शून्य
   2.सामग्री क्र्य- शून्य
   3.निक्षेप पंजिका- ₹ 44800913 /-
   4.प्रकीर्ण अग्रिम- ` 9255603.19 /-
   5.भंडार- ` 985491 /-

भाग–2 (अ)

प्रस्तर 1 - प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के मानको के विपरीत कार्य करवाने से ₹1.55 करोड़ का (Retaining Wall पर) निरर्थक व्यय एवं पुल के दोनों तरफ पहुँच मार्ग पर अधोमानक कार्य किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 के प्रस्तर 383 के अनुसार– Where important structural alterations are contemplated, though not necessarily involving an increased outlay, the orders of the original sanctioning authority should be obtained. A revised estimate should be submitted for technical sanction should the alterations involve any substantial change in the cost of the work. आगे प्रस्तर 378 के अनुसार– No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट–थानो–रायपुर–सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के कि0मी0 14 में 75 मी0 आर0सी0सी0 सेतु के निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा रू0 884.73 लाख की वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (दिनांक 31/08/2016)/कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु (ग0म0)लो0नि0वि0 द्वारा समान धनराषि प्रदान की गई थी (दिनांक 31/08/2016)/निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या–28/SE/NH-10/2016-17 Dt.15.09-2016 गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथि क्रमषः 15.09.2016 तथा 14.09.2017 थी। पुल के साथ पॅहुच मार्ग (approach road on the both side of bridge) का भी का निर्माण किया जाना था जिसकी रिटेनिंग वॉल को आर0सी0सी0 से (Reinforce cement Concrete) जिसमें सरिया का प्रयोग होता है बनाया जाना था एवं पहुँच मार्ग पर DBM (Dense grade Bituminous Macdam) एवं BC (Bituminous concrete) को lay किया जाना था। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर 10th चालू देयक के अनुसार रू0 8.15 करोड़ व्यय किया जा चुका था और कार्य अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:-

(1) **अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि कार्य के original Estimate के सापेक्ष प्राप्त तकनीकी** स्वीकृति **में पुल के दोनों तरफ पहुच मार्ग(approach road) की Retaining wall बनाने हेतु RCC (Reinforce**

Cement Concrete जिस **में** सरिया का प्रयोग होता है) **का प्रावधान** किया गया था,के स्थान पर **CC (cement Concrete, M-15 मद,** जिसमें सरिया का प्रयोग नही होता है) से **Retaining wall बनाई गयी थी** जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से प्राप्त नही की गई थी, एवं **Revised Estimate** भी अनुमोदित नही करवाया गया था। उक्त **CC Retaining Wall पर ₹1.55 करोड़** व्यय हुआ।

(2) खण्ड़ द्वारा वित्तीय नियमों के विपरीत कार्य के सापेक्ष वित्तीय एवं प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने/होने से 2 माह पूर्व ही निविदायें आमन्त्रित कर ली गई थी।

(3) जाँच में पाया गया कि कार्य के दौरान पुल की स्वीकृत Drawing and Design में परिवर्तन किया गया था। Drawing and Design में परिवर्तन के कारण उक्त वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी से पुनः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी जो कि प्राप्त नही की गई थी। Drawing and Design में परिवर्तन के कारण कार्य की लागत में वृद्वि तय है।

(4) खण्ड द्वारा कार्य हेतु भूमि का पूर्ण रूप से अधिग्रहण किये बिना ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था जो उक्त वित्तीय नियमों की अवहेलना थी एवं जिसके फलस्वरूप कार्य, कार्य समाप्ति की अनुबन्धित तिथि के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपूर्ण था।

(5) जाँच में यह भी पाया गया कि मूल आगणन में कुल 44 मदें (Items of work) सम्मिलित किये गये थे जिसमें से निविदा आमन्त्रण के समय कुल 39 मदें सम्मिलित की गई थी। इन हटाई गई मदों में एक मद Metal Beam crush Barrier भी थी जिसे बाद में Extra item के रूप में क्रियान्वित कराया गया था जो अनौचित्यपूर्ण था।

(6) जाँच में यह भी पाया गया कि कार्य के सापेक्ष जो बीमा (Insurance) करवाया गया था वह माह 03/2018 तक ही वैद्य था Defect liability period तक वैद्य होना चाहिए था।

दिनांक 09.08.2018 को लेखा परीक्षा दल द्वारा खण्ड़ के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन पुल का भौतिक निरीक्षण किया गया। भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया किः—

(a) पुल के down Stream में थानो एवं रायपुर दोनों तरफ Abutment के पास (Abutment) से जुड़ी हुई Approach Road के shoulder वाली जगह में कई **मीटर तक धॅसाव हो गया था एवं Approach road की रिटेनिंग वॉल down Stream में दोनों तरफ बाहर की तरफ Inclined outside झुक/टेढ़ी हो गयी थी जिसका मुख्य**

कारण approach road पर भरान (filling of RBM, WMM, earth etc.) को ठीक से compact नहीं किया गया था एवं RCC के स्थान पर M-15 material के द्वारा Retaining wall का निर्माण किया गया था, जबकि आगणन में RCC RE Wall का प्रावधान था न कि CC RE Wall का।

(b) निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया पुल के दोनों तरफ (थानों एवं रायपुर) Approach Road पर जो DBM एवं BC का कार्य करवा रखा था उसे JCB मषीन द्वारा उखाड़ा/खोदा जा रहा था ताकि Approach Road पर Lay किये गये RBM WMM/earth को Compact किया जा सके। खण्ड़ द्वारा Lay किये गये DBM एवं BC को लेखापरीक्षा तिथि तक मापपुस्तिका में दर्ज नही किया गया था। **DBM का Record Measurement नही किया जाना वित्तीय नियमों के विपरीत था/है साथ ही Approach Road पर बिछाये गये DBM एवं BC पर जो व्यय हुआ वो निरर्थक हो गया है। बिछाये गये DBM व BC हेतु सम्बन्धित Hot Mix Plant की भी MB नही की गई थी जो कि वित्तीय नियमों के विपरीत है। यह इंगित करता है कि इस विभागीय लापरवाही के कारण ठेकेदार को DBM एवं BC की MB किये बगैर ही भुगतान करना होगा साथ ही हॉट मिक्स प्लॉट की MB न किया जाना गम्भीर अनियमितता है। इन अनियमितताओं के कारण जनता को समय से पुल का फायदा नही मिला है।**

(c) पुल के downstream एवं upstream में दोनों ओर Protection Wall का निर्माण किया गया था जिसकी Entry माप पुस्तिका में नही की गई थी एवं downstream में Protection Wall का निर्माण किया जाना औचित्यहीन था ही साथ ही down stream side में बनायी गयी Protection Wall पर किया गया व्यय निरर्थक भी था। उक्त का प्रावधान T.S (आगणन) में नही था साथ ही उक्त पुल हेतु गठित अनुबन्ध में भी इसका प्राविधान नही था।

(d) निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि Approach Road, पुल एंव मुख्य सड़क का Alignment एक सीध में नही (Zigzag) था।

उक्त तथ्यों एव आकड़ों से स्पष्ट है कि खण्ड़ द्वारा वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमन्त्रित कर, पुल के डिजायन में परिवर्तन के बावजूद पुनः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर, पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृत कराये बिना कार्य करवाने के कारण एवं बिछाये गये DBM एवं BC को माप पुस्तिका (MB) में इन्द्राज न किया जाना व सम्बन्धित Hot mix Plant की भी MB न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन तो किया गया ही साथ ही बिना स्वीकृति के RCC के स्थान पर M-15 सामग्री जो कि अपेक्षाकृत (व्यय की लागत रू0 1.55 करोड़) कम मजबूती प्रदान करती है, द्वारा Approach Road की रिटेनिंग वॉल का निर्माण करवाया गया जिससे रिटेनिंग

वॉल टेढ़ी हो गई, साथ ही बिना उपयुक्त Compaction के Approach Road पर DBM एवं BC execute करवाया गया जिससे Approach Road में धँसाव हो गया था। इस प्रकार अधोमानक कार्य करवाया गया था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड़ द्वारा उत्तर में बताया गया किः–

पुल के Drawing and Design में परिवर्तन के पश्चात् दोबारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की आवष्यकता नही थी। DBM एवं BC की MB न किये जाने के सम्बन्ध में बताया कि कार्यस्थल पर माप अभी तक नही ली है। पुल के दोनों ओर Protection Wall के बनाने के औचित्य एवं इस कार्य की MB न किये जाने के सम्बन्ध में बताया कि उक्त वॉल downstream side काष्तकारों की जमीन को पानी से बचाने हेतु बनायी गयी है। आर0सी0सी0 के स्थान पर M-15 सामग्री से रिटेनिंग वॉल का निर्माण किन अधिकारियों की अनुमति किया गया के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा आदेष मौखिक रूप से दिये गये थे।

खण्ड़ का उत्तर तर्क संगत, उचित एवं मान्य नही हैं क्योंकिः–

वित्तीय नियमों के अनुसार कार्य में Structural परिवर्तन के पश्चात् पुनः सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। Approach Road पर BC बिछाने से पूर्व बिछाये गये DBM का Record Measurement किया जाना अनिवार्य था जो कि नही किया गया जिससे वर्तमान में यह पता लगाना कठिन है कि बिछाये गये DBM की वास्तविक मात्रा कितनी है हालांकि Retaining wall के टेढ़ी हो जाने के कारण Approach Road पर पुनः Compaction करने हेतु बिछाये गये DBM एवं BC को खोदा जा रहा था। सम्बन्धित Hot mix Plant की MB ना किया जाना भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। खण्ड़ द्वारा पुल के down stream एवं up stream में बनाई गई है Protection Wall की MB न किया जाना भी वित्तीय नियमों की अवहेलना है, down stream में Protection Wall का निर्माण उद्वेष्यहीन एवं औचित्यहीन है। क्योंकि उसका पुल बनाने से कोई सम्बन्ध नही है, क्योंकि उस तरफ पानी का बहाव मूल रूप में ही था। **सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिना T.S हुये व बिना किसी लिखित आदेषों के (उच्चाधिकारियों के) RCC के स्थान पर M-15 सामग्री से रिटेनिंग वॉल का निर्माण, जो कि बाहर की तरफ झुक गई,** करवाया गया जो **निरर्थक एवं** अधोमानक कार्य को इंगित करता है। वित्तीय प्रषासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमन्त्रण के कारण के सम्बन्ध में खण्ड़ द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया।

इस प्रकार CC Retaining wall पर ₹1.55 **करोड़** का निरर्थक व्यय, वित्तीय नियमों की अवहेलना कर Protection Wall का निर्माण कराया जाना, DBM एवं BC की MB न किया जाना, भूमि का पूर्ण रूप से अधिग्रहण किये बिना कार्य करना एवं **पुल के पहुँच मार्ग पर** अधोमानक कार्य करवाये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर- 1- रु0 5.60 करोड़की लागत का संरचनात्मक प्रत्यावर्तन के बावजूद बगैर पुनिरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए कार्य किया जाना एवं उतनी धनराशि अधिक व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिकावाल्युम 6 के नियम 383 के अनुसार Where important structural alterations are contemplated, though not necessarily involving an increased outlay, the orders of the original sanctioning authority should be obtained. A revised estimate should be submitted for technical sanction should the alterations involve any substantial change in the cost of the work.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, देहारादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि उक्तकार्य के प्रथमचरण की स्वीकृतिराज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या– 830/III(2)/14–65 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक 18.02.2014 द्वारा रू0 473.31 लाख प्राप्त हुई है एवंपुनः द्वितीय चरण में शासनादेश सं0– 5069/ III(2)/15–65 (प्रा0आ0)/2015 लोक निर्माण अनुभाग–2 दिनांक 26 अगस्त 2015 द्वारा अठ्ठाईस करोड़ बयानवे लाख चौहत्त हजार मात्र (2892.74) लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 72 एवं 72ए के कि0मी0 156.00 में आई0एस0बी0टी0 जंक्शन पर निरंजनपुर मण्डी से रूड़की–सहारनपुर की तरफ 4 लेन फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।हरिद्वार की तरफ से सहारनपुर की तरफ जाने वाले वाहन आई0एस0बी0टी0 बस स्टैंड के सामने से होकर निकलते हैं, जिस कारण आई0एस0बी0टी0 (बस स्टैण्ड) के समीप यातायात जाम की स्थिति बनी रहती हैं प्रस्तावित फ्लाईओवर को पूर्व से निर्माणाधीन फ्लाईओवर के साथ जोड़ने से हरिद्वार बाईपास की तरफ से आने वाले वाहनों के कारण लगने वाला जाम कम हो जायेगा।

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 11.04.2015 को कार्यस्थल पर निरिक्षण के दौरान स्थानीय जनता की मांग पर उक्त स्थान पर 2 लेन अतिरिक्त फ्लाईओवर के निर्माण के निर्देश दिये गये थे।

उक्त कार्य रा0मा0 संख्या– 72 के कि0मी0 156.00 आई0एस0बी0टी0 से हरिद्वार की ओर निर्माणाधीन वाईसेप फ्लाईओवर (115 मी0 लम्बाई) के सट्रक्चर डिजाईन व ड्राईंग हेतु **मैसर्स डिजाइन टेक** स्ट्रक्चरल कन्सल टैन्ट, लाडपुर देहरादून **के साथ लागत रु0 575000.00 का अनुबंध**

संख्या 49/A.E.1/2016-17 दिनांक 24.03.2017 गठित किया गया उक्तानुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.03.2017 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 23.04.2017 थी।

Construction of 2-lane Y-Leg flyover in Km. 156.00 on NH 72 at I.S.B.T. Junction in District Dehradun के **कार्यकीप्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता,**रा0मा0 एवंसेतु (ग0क्षे0), **लोक निर्माण विभाग,** देहरादून के द्वारा दिनांक 26.11.2015 को **प्रदान की गई।**

उक्त कार्य हेतु M/S Doon Infrastructure 5-A West Rest camp Dehradunके साथ लागत रु0 19,48,78,515.84 का अनुबंध संख्या 25/S.E.-NH-10/2016-17 दिनांक 14.09.2016 गठित किया गया उक्तानुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 14.09.2016 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 13.09.2017 थी। उक्त कार्य के सापेक्ष XIth/R Bill तक रु0 16,82,37,614.00 के भुगतान के बाद भी आतिथि तक अपूर्ण है।

मूल डिजाइन एवं ड्राइंग में परिवर्तन करते हुए एक अतिरिक्त स्पान (15 मी0 लम्बाई के स्थान पर 30 मी0 का स्पान), एक अतिरिक्त पियर का निर्माण तथा एबुटमैन्ट व पियर पी–1 के डिजाईन में परिवर्तन किया गया। जिसके कारण अनुबन्ध की लागत से रू0 12672509.62 अधिक है। इसी प्रकार फ्लाई ओवर निर्माण हेतु पी0एस0सी0 स्ट्रक्चर के स्थान पर स्टील कम्पोजिट ब्रिज का निर्माण किया गया जिसके कारण रू0 43350354.88 आधिक्य लागत हुआ।इस प्रकार रू0 56022864.50 (12672509.62 + 43350354.88) का अधिक व्यय मूल डिजाईन व ड्राईंग में परिवर्तन के कारण हुआ।

मूल स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईंग में किये गये परिवर्तन की पुनारिक्षित प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी जोकि वित्तीय हस्त पुस्तिका वाल्युम 6 के नियम 383- Where important structural alterations are contemplated, though not necessarily involving an increased outlay, the orders of the original sanctioning authority should be obtained. A revised estimate should be submitted for technical sanction should the alterations involve any substantial change in the cost of the work के विपरीत हैं।

विभागीय उत्तर में बताया गया की पूर्वनिर्मित फ्लाईओवर को निर्माणाधीन फ्लाईओवर से जोड़ने हेतु उपलब्ध ड्राइंग के अनुसार मिलान बिन्दु पर मार्ग की चौड़ाई 15 मी0 रखी गई थी। मुख्य अभियन्ता रा0मा0 एवं सेतु (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 देहरादून द्वारा कार्यस्थल पर निरीक्षण के दौरान यातायात सुगमता पूर्वक चल सके, हेतु उक्त पैनल का पुनः आंशिक डिजाइन कराने आदेश दिये गये थे जिसके अनुपालन में मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन के पश्चात् M/s Design Tech. Structure को 115 मीटर लम्बाई के हिस्से की पुनः डिजाइन हेतु अनुबन्ध गठित किया गया। संशोधित डिजाइन के अनुसार उक्त स्थान पर 15 मीटर के स्थान पर 30

मीटर की opening मिल रही है। जिस हेतु एक अतिरिक्त पिअर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तथा पूर्वनिर्मित फ्लाईओवर से Y shape की तरफ दो स्पान हेतु Pre Stressed Concrete Girder के स्थान पर Steel Girder का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। उक्त आशिंक परिवर्तन में फ्लाईओवर का ना ही स्थान परिवर्तन किया गया है, ना ही फ्लाईओवर की लम्बाई प्रभावित हुई, मात्र मिलान बिन्दु पर यातायात सुगम हो, हेतु मिलान बिन्दु की चौड़ाई 15 मीटर के स्थान पर 30 मीटर की गई है। उक्त परिवर्तन के कारण एक अतिरिक्त पिअर का निर्माण Abutment, A1 तथा पाइल फाउनडेशन में पाइल की गहराई एवं संख्या बढ़ने के कारण रू0 12672509.62 का विचलन हुआ है तथा PSC Girder के स्थान पर Steel Composite Girder के निर्माण में रू0 43350354.00 का अतिरिक्त मद हुआ है, जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त कर ली गई है। चूँकि यह लागत कुल स्वीकृत लागत रू0 2892.74 लाख से लगभग 14.99 प्रतिशत अधिक आ रही है, जोकि 15 प्रतिशत से कम है। उत्तराखण्ड़ वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग (1) वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2013 शां0सं0 XXVII(1)36/2017वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग–7 दिनांक 02. 04.2018 के विवरण पत्र 3 Clause4 के अनुसार 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक व्यायाधिक्य को जोड़ते हुये कार्य पूर्ण हो जाये, तक स्वीकृत हेतु अधिकृत किया गया है। अतः पुन पुनरीक्षित प्राविधिक स्वीकृति की आवश्यकता नही रह गई है और न ही वित हस्तपुस्तिका के Volume 6 के नियम 383 का उल्लघन हुआ है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि **मूल डिजाइन एवं ड्राइंग में** परिवर्तन करते हुए एक अतिरिक्त स्पान (15 मी0 लम्बाई के स्थानपर 30 मी0 का स्पान), एक अतिरिक्त पियर का निर्माण तथा एबुटमैन्ट व पियर पी–1 के डिजाईन में परिवर्तन किया गया। जिसक कारण अनुबन्ध की लागत से रू0 12672509.62 अधिक है। इसी प्रकार फ्लाईओवर निर्माण हेतु पी0एस0सी0 स्ट्रक्चर के स्थान पर स्टील कम्पोजिट ब्रिज का निर्माण किया गया जिसके कारण रू0 43350354.88 आधिक्य लागत हुआ। इस प्रकार रू0 56022864.50 (12672509.62 + 43350354.88) का अधिक व्यय मूल डिजाईन व ड्राईंग में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार मूल स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राईंग में किये गयेपरिवर्तन की पुनारिक्षित प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी जोकि वित्तीय हस्तपुस्तिका वाल्युम 6 के नियम 383 के विपरीत हैं।

अतः रु0 5.60 करोड़ की लागत का संरचनात्मक प्रत्यावर्तन के बावजूद बगैर पुनिरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए कार्य किया जाना एवं उतनी धनराशि अधिक व्यय किया जाना का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो- **ब**</u>

<u>प्रस्तरः</u>**–2** बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये वित्तीय नियमों की अवहेलना कर **अपूर्ण कार्यो पर** रू0 **1660.00** लाख का व्यय। **खंड की उदाशीनता के कारण भूमिकारों को धनराशि रु.17.97 लाख का अधिक भुगतान किया जाना। वित्तीय नियमो के विपरीत धनराशि रु. 29.95 लाख का भुगतान से पूर्व ही आहरण किया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय-1 के नियम 13(iii) का अनुपालन नहीं किया जो कि यह निर्धारित करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी लोक धन से व्यय करते समय वैसी ही सावधानी बरतेगा जैसे कि एक समान्य व्यक्ति स्वयं के धन का उपयोग करते समय अपने विवेक का उपयोग करता हैं।

वित्तीय निगम संग्रह खंड 5 भाग I के प्रस्तर 158 से 162 कोषागार से किसी भी मद के अंतर्गत धनराशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहियें जब तक की उसके तुरन्त भुगतान/उपभोग की संभावना न हो। धनराशि का आहरण इस उदेश्य से भी नहीं करना चाहिये की वितीय वर्ष के अन्त में प्रावधान समाप्त हो जाएगा और अन्यत्र वर्षो में धनराशि का आवंटन होना सम्भव नहीं है।

वित्तीय नियम यह प्रावधानित करते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि सम्यक रूप से हस्तान्तरित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-6 के प्रस्तर 383- Where important structural alterations are contemplated, though not necessarily involving an increased outlay, the orders of the original sanctioning authority should be obtained. A revised estimate should be submitted for technical sanction should the alterations involve any substantial change in the cost of the work.

केंद्रीय सड़क निधि (सी0आर0एफ0) के अन्तर्गत जिला हरिद्वार मे लेवल क्रॉसिंग संख्या 524- चूड़ियाला रेलवे स्टेशन के पास 970 मीटर लम्बाई में 2 लेन (7.50मी चौड़ा .Carriageway) के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक: 31 मार्च 2016 को रु. 28.19 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 30 : जुलाई 2016 को उक्त कार्य हेतु रू0 27.10 करोड़ की प्रषासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेषसंख्या–432/III–3/2016–01. (आर0एफ0)/2012 द्वारा प्रदान की गयी थी। खण्ड द्वारा तैयार किये गये विस्तृत आगणन पर उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता रा0मा0 एवं सेतु (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 देहरादून के द्वारा रू. 2701.57 लाख की दिनांक 31/08/2016 को प्रदान की

गई थी तथा निर्देशित किया गया था प्रस्तावित कार्य स्थल मे यदि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी हो, तो विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाये, साथ ही नियमानुसार वृक्षो का पातन कर लिया जाये। सेतु की परिकल्पना एवं निर्माण कार्य मे भूकम्प रोधी तकनीक का समावेश अवश्य किया जाए। स्थल निरीक्षण आख्या तथा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के प्राप्त किए जाने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि

1. उक्त कार्य हेतु कार्य प्रारम्भ से पूर्व भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यवाही नही की की गयी तथा भूमि का निराकरन एवं कार्य स्थल मे यूटिलिटी शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही दिनांक 12.09.2016 को उक्त कार्य हेतु अनुबंध सं 24/S.E-.N.H-10/2016-17 का गठन कर लिया गया। जिसके अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि दिनांक **12.09.2016**एवं कार्य समाप्ति की तिथि **11.12.2017** थी। परन्तु भूमि का निराकरन न होने के कारण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक भी पूर्ण नही किया जा सका था तथा माह **01/2018** में पुल के डिजायन डिजायन/ड्रॅाइंग में बदलाव किया गया, जिसके पश्चात पुनः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही की गयी। इसके अतिरिक्त मार्च 2018 **रू0 165.88** लाख की स्वीकृति अतिरिक्त मद के रूप मे मुख्य अभियंता,रामा.एवं सेतु(ग0क्षे0.) लोक निर्माण विभाग देहारादून से प्राप्त की गयी। अनुबन्ध की समाप्ति तिथि **11.12.2017** के पश्चात भी बिना किसी पेनल्टी के ठेकेदार से कार्य कराया गया। जाँच में पाया गया कि कार्य के दौरान पुल की स्वीकृत Drawing and Design में परिवर्तन किया गया था। Drawing and Design में परिवर्तन के कारण उक्त वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी से पुनः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी जो कि प्राप्त नही की गई थी। अतिथि तक कार्य पर कुल **रू0 1660.60** लाख (प्रप्रत्र के अनुसार 64) व्यय किया जा चुका था।

2. पुल के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे यह पाया गया कि पुल के निर्माण हेतु खण्ड द्वारा ग्राम तेज्जुपुर परगना व तहसील भगवानपुर के खसरा संख्या 505 (श्री शोभा राम) एवं खसरा सं0–497 (श्री पवन कुमार एवं वीरेन्द्र सिंह) की क्रमषः 114 वर्ग मीटर एवं **780** वर्ग मीटर **रू0 1920** प्रति वर्ग मीटर के रेट से किया जाना था। खण्ड़ द्वारा भूमि अधिग्रहण **रू0 1920** वर्ग मीटर एवं उस पर **100** प्रतिषत सोलेषियम के अनुसार श्री शोभा राम को कुल धनराषि **रू0 552960.00** का भुगतान माह **03/2018** में कर दिया गया। किन्तु श्री पवन कुमार एवं श्री विरेन्द्र सिंह सिंह से जून 2018 मे **780** वर्ग मीटर भूमि के स्थान पर केवल **312** वर्ग मीटर भूमि का ही

अधिग्रहण किया गया तथा उसके हेतु रू0 4800 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रू01497600.00 एवं उस पर 100 प्रतिषत सोलेषियम के अनुसार कुल धनराषि रू0 2995200.00 का भुगतान किया गया जबकि श्री पवन कुमार एवं श्री विरेन्द्र सिंह को उक्त निर्धारित रेट रू0 1920 वर्ग मीटर एवं उस पर 100 प्रतिषत सोलेषियम के अनुसार 312 वर्ग मीटर भूमि हेतु कुल रू0 1198080.00 का ही भुगतान किया जाना चाहिए था। खण्ड़ द्वारा उक्त भूमिकारों को रू0 1797120.00 की धनराषि का अधिक भुगतान किया गया।

3. अभिलेखो के अवलोकन मे यह भी पाया गया कि उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु सम्पूर्ण धनराशि (रु. 36.01 लाख) का माह मार्च **में ही आहरण कर लिया गया जबकि इसमें से रू0 2995200.00 का भुगतान सम्बन्धित काष्तकारों को माह जून 2018 में किया गया था।** वित्तीय नियमो के अनुसार कोषागार से किसी भी मद के अंतर्गत धनराशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहियें जब तक की उसके तुरन्त भुगतान/ उपयोग की संभावना न हो।

उपरोक्त प्रकरणों को सम्प्रेक्षा में उठाये जाने पर खण्ड ने बिन्दु (1) के सम्बन्ध मे अवगत करवाया कि भूमि अधिग्रहण पूर्व मे निर्माण खंड रुड़की द्वारा किया गया था तथा कुछ विवादित भूमि खंड द्वारा अधिग्रहण की गयी। भूमिकारो से सहमति पत्र दिनांक: 02.08.2017 को प्राप्त किए गए। PNG CONSULTANT द्वारा पुन कार्य के अधिक रेट लिए जाने के कारण संशोधन के कार्य हेतु पुन: ड्राइंग सहस्त्र इंजीनियरिंग से बनवाई गई। उत्तर मान्य नहीं था कार्य में Structural परिवर्तन के पश्चात् पुनः सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना एवं भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य कराया जाना वित्तीय नियमो के अनुसार उचित नही है न ही खण्ड द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 2 अवम 3 के संबंध मे कोई अभिलेख एवं उत्तर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा वित्तीय नियमो के विपरीत भूमि कारो को रु 17.97 लाख का अधिक भुगतान एवं रु 29.95 लाख का आहरण किया गया। खण्ड की उदासीनता के कारण उक्त भूमिकारों को माह जून 2018 मे अधिक दरो से भुगतान किए जाने के कारण शासन को रु 17.97 लाख की हानि भी हुई, जबकि उक्त भूमि कारो से माह 08/2017 को **रू0 1920 वर्ग मीटर एवं उस पर 100** प्रतिशत **सोलेशियम के अनुसार** भुगतान हेतु सहमति पत्र प्राप्त किए जा चुके थे। । अतिथि तक कार्यो पर रू0 1660.60 **लाख का व्यय** के बावजूद कार्य अंतिम तिथि के बाद भी अपूर्ण थे तथा उक्त भूमि अभी भी विभाग नाम नही हुई थी।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 3- : *उपखनिजो पर रु 32.95 लाख की रायल्टी की वसूली न किया जाना।*

उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 19 मई 2016 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल मे उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमे से कोई भी मिली जुली अवस्था मे हो की रॉयल्टी की दर ` 154.00 प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,लो०नि०वि० रुड़की से संबन्धित वाउचर/ अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि निम्न विवरनुसार देयकों से रायल्टी की कटौती नही की जा रही थी:-

क्रं स	ठेकेदार का नाम	बिल/वाउचर संख्या	माह	देयक के अनुसार कटौती की जाने वाली रायल्टी (रु)	खंड द्वारा कटौती की गयी रायल्टी (रु)	शेष कटौती की जाने वाली रायल्टी (रु)
1	Raj shama construction pvt.ltd.	7th	03/2017	267433.32	0.00	267433.32
2.	Raj shama construction pvt.ltd.	8th	09/2017	188523.70	0.00	188523.70
3	Himalyan Constraction	8th/4.	02/2018	2286570.00	0.00	2286570.00
4	Raj shama construction pvt.ltd.	9 th/39	03/2018	229532.38	0.00	229532.38
5	Raj shama construction pvt.ltd.	10 th/8	03/2018	323723.40	0.00	323723.40
	Total			**3295782.8**	**0.00**	**3295782.8**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे अवगत कराया गया कि कार्य से संबन्धित सविदारों द्वारा उपखनिजो की रायल्टी से संबन्धित कुछ प्रपत्र/रवन्ना खंड मे प्रस्तुत किए है तथा शेष बाद मे प्रस्तुत का दिये जाएगे।

खंड का उत्तर मान्य नही है क्योकि खंड द्वारा न तो रायल्टी से संबन्धित प्रपत्र/रवन्ना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए न ही बिलो से कटौती की गयी जो नियमानुसार सविदारों से बिल के साथ या तो प्रपत्र/रवन्ना लेना चाहिए था या बिलो से कटौती की जानी चाहिए थी।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
20/2003-04	1	-	
44/2004-05	-	2,3	
02/2006-07	1	-	
09/2007/08	-	1	
33/2008-09	-	3	
12/2011-12	1,2	-	
47/2012-13	-	3	
57/2015-16	-	3,5,6,7	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			इकाई ने अपने प्रस्तर में बतलाया कि अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय देहरादून को प्रस्तुत कर दी जायेगी। अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

\- शून्य -

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, रा॰मा॰ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि., अल्मोड़ा का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अनिल पांगती	अधिशासी अभियंता	19/08/2014 से 03/01/2018 तक
2.	श्री अनिल चन्द्र त्रिपाठी	,,	03/01/2018 से 31/03/2018 तक
3.	श्री राजीव मुरानी	,,	01/04/2018 से 19/05/2018 तक
4.	श्री चतुर लाल	,,	19/05/2018 से वर्तमान तक

4.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।

अ. श्री अरविंद कुमार 01/01/16 से 07/2017 तक

ब. श्री ओम प्रकाश मीज 07/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, रा॰मा॰ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II